न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर।

अपील संख्या-102/2002

1- पोकर पुत्र बींजा जाति माली निवासी झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू-मृतक-
1/1-बाबुलाल पुत्र पोकरमल--मृतक
1/1/1- महेन्द्र पुत्र स्व0 बाबूलाल--मृतक--
1/1/1/1- सुप्यारदेवी बेवा स्व0 महेन्द्र
1/1/1/2- उम्मेद पुत्र स्व0 महेन्द्र
1/1/1/3- मुकेश पुत्र स्व0 महेन्द्र
1/1/1/4- पुनम पुत्री स्व0 महेन्द्र
1/1/2- शीशपाल पुत्र स्व0 बाबूलाल
1/1/3- विपीन पुत्र स्व0 बाबुलाल
1/1/4- सुलोचना पुत्री स्व0 बाबुलाल
1/1/5- मीरादेवी पुत्री स्व0 बाबुलाल
1/2- मुनीमराम पुत्र स्व0 पोकरराम
1/3- राजेन्द्रप्रसाद पुत्र स्व0 पोकरराम--मृतक-
1/3/1- कौशल्यादेवी बेवा स्व0 राजेन्द्रप्रसाद
1/3/2- मनोज पुत्र स्व0 राजेन्द्रप्रसाद
1/3/3- सुनील पुत्र स्व0 राजेन्द्रप्रसाद
1/3/4- सुनिता पुत्री राजेन्द्रप्रसाद
1/3/5- सन्तोष पुत्री स्व0 राजेन्द्र प्रसाद
1/3/6- आशा पुत्री राजेन्द्रप्रसाद

जाति माली निवासी फौज का मौहल्ला झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू ।

---अपीलान्टस्---

---बनाम---

1- माला पुत्र मूला जाति माली निवासी झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू ।-मृतक

1/1- भगवतीप्रसाद पुत्र माला
1/2- श्रीराम पुत्र माला
1/3- मु0 बिमला पुत्रीमाला
1/4- मु0 शान्ति पुत्रीमाला
1/5- मु0 पुष्पा पुत्री माला
1/6- मु0 मोहनी पुत्रीमाला
1/7- मु0 लक्ष्मी पुत्रीमाला

जाति माली निवासीगण झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू (राज0)

2- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झुन्झुनू ।

---रेस्पोडेन्टस्---

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री
दिनांक 3-8-2002 द्वारा उप
खण्ड अधिकारी झुन्झुनू ।

--0--

उपस्थित

1- श्री सुशील जोशी एडवोकेट- अपीलान्ट
2- श्री रमेशकुमार एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक- 21.5.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलान्ट ने अदालत मातहत में दावा बाबत बंटवारा एवं इस्तकरार हक एवं घोषणा का पेश कर निवेदन किया कि आराजी ख0नं0 1123/1 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा एवं ख0नं0 1123/2 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा वाके सरहद झुन्झुनू में स्थित है । जिसके खातेदार वादी एवं प्रतिवादी सं0-1 है । जिनका 1/2, 1/2 हक हिस्सा है ।इस आराजी का पूर्व में 20 वर्ष पहले मौखिक रूप से मौके पर बंटवारा कर लिया जिसके अनुसार ख0नं0 1123/1 वादी के हिस्से में तथा 1123/2 प्रतिवादी सं0-2 के हिस्से में आई हुई है । वादी अपने हिस्से की आराजी में ख0नं0 1123/1 में मकान बनाकर आबाद है । मौके पर आराजी का बंटवारा किया हुआ है ।

केवल विधिवत बार्ड मीट्स एण्ड बाउण्डस् ही बंटवारा नहीं किया गया ।प्रतिवादी संख्या-1 को मौके के अनुसार बंटवारा करने के लिये कहा तो उसने मना कर दिया जिस पर यह दावा पेश किया जिसे अदालत मातहत ने बाद सुनवाई वादी का दावा खारिज कर दिया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । विवादित आराजी में अपीलान्ट का 1/2 हिस्सा एवं रेस्पोडेन्ट संख्या-1 का 1/2 हिस्सा है । पक्षकारों में राजीनामा दिनांक 29-5-2002 को हो गया । राजीनामा तस्दीक कर लिया गया । इसके बाद भी दावा डिक्री न कर कानूनी भूल की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री किया जावे ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । नकल जमाबन्दी सं0-2045 से 2048 में आराजी ख0नं0 1123/1 व 1123/2 कुल किता-2 रकबा 15 बीघा की खातेदारी अपीलान्ट पोकर व रेस्पोडेन्ट माला के नाम दर्ज है ।जमाबन्दी सं0-2032 से 2035 में भी उक्त आराजी पोकर व माला की खातेदारी में दर्ज है ।राजीनामा में वादी/अपीलान्ट के हक में खेत खसरा नं0 1123/1 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा पुख्ता का खाता तथा प्रतिवादी सं0-1/ रेस्पोडेन्ट संख्या-1 के हिस्से में ख0नं0 1123/1 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा तथा ख ख0नं0 1123/2 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा कुल किता-2 रकबा 10 बीघा 2 बिस्व का अलग खाता किया जाकर पर्चा लगान, पर्चा खतौनी अलग अलग की जावे । पक्षकारों ने लोक अदालत की भावना से राजीनामा किया है । अदालत मातहत ने राजीनाम के अनुसार दावा डिक्री किये जाने में राज्य सरकार को राजस्व की हानि होने के कारण ही दावा को खारिज किया है । जबकि पक्षकारो के मध्य राजीनामा हो चुका है तो आराजी की स्टाम्प ड्यूटी नियमानुसार उप पंजीयक कार्यालय में जमा कराये जाने के आदेश दिये जाकर मुताबिक राजीनामा दावा

डिक्री किये जाने से पक्षकारों में हुये आपसी राजीनामा के आधार पर विवाद का ही निस्तारण होता है । अतः हम प्रकरण में हुये राजीनामा के आधार पर दावा डिक्री किया जाना आवश्यक एवं उचित मानते हैं साथ ही आराजी के अन्तर की लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी जमा कराने पर ही निर्णय का राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे ।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट मुताबिक राजीनामा स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी झुन्झुनू का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 3-8-2002 खारिज किया जाता है । राजीनामा में वर्ज हिस्से से अधिक आराजी की स्टाम्प ड्यूटी उप पंजीयक कार्यालय झुन्झुनू में जमा करवाई जावे । राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा ।मुताबिक राजीनामा राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद किया जावे ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 21.5.2018 को सुनाया गया ।

21/5/18

(भंवरलाल सहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर